

राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:-एफ 5(4)सम/डीईएस/टाईम्स/ 50752

दिनांक:- 19/5/2016

ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी  
ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय.....।  
जिला.....। समस्त  
समस्त

विषय:- दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम एवं शिकायतों की सुनवाई एवं निस्तारण के क्रम में।  
संदर्भ:- आयोजना विभाग का पत्रांक 5(4)/सम/डीईएस/2015/10607 दिनांक: 23.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग क अधिकारियों के निरीक्षण, दौरे एवं रात्रि विश्राम के मानदण्ड निर्धारित किये गये थे, जिसके अनुसार ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को प्रत्येक माह दो दौरे, दो निरीक्षण एवं दो रात्रि विश्राम के लक्ष्यों का आंवटन किया गया था (प्रति संलग्न है)। इस संबंध में आप निम्नांकित दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-


(1) सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में की जाने वाली यात्राओं का प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम राजस्थान संपर्क वेब-पोर्टल पर अंकन करना है, इसके लिए आपके कार्यालय के लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जारी कर संबंधित जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालयों को प्रेषित किये जा चुके हैं।

(2) सांख्यिकी अधिकारी द्वारा दौरे के दौरान किए गए निरीक्षण का विस्तृत विवरण आगामी माह की 10 तारीख तक राजस्थान संपर्क वेब-पोर्टल पर आवश्यक रूप से अंकित किया जाना है

(3) सांख्यिकी अधिकारी द्वारा दौरे के दौरान ग्राम पंचायत पर संचालित विभाग की समस्त गतिविधियों यथा:-जन्म-मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन एवं भामाशाह इत्यादि (विस्तृत दिशा- निर्देश संदर्भित पत्र के साथ संलग्न है) का निरीक्षण किया जावे।

उपरोक्त सूचना को पोर्टल में अंकन करने में आने वाली किसी भी तरह की कठिनाई के निवारण हेतु निदेशालय की समन्वय शाखा के दूरभाष नंबर 0141-5167115 पर श्री विपिन बिहारी शर्मा, सां. निरीक्षक से संपर्क किया जा सकता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
(ओम प्रकाश बैरवा)  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग

क्रमांक: 5 (4) / राग / जीईएस / टाइम्स / 2015 / 667

जयपुर दिनांक: 23/3/2015

आदेश


विषय: विभिन्न स्तर पर किए जाने वाले निरीक्षण, दौरे, रात्रि विश्राम, शिकायतों की सुनवाई एवं सनका निस्तारण ।

आगजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान एवं निराकरण के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(8)प्र सु/टाइम्स/2013 जयपुर दिनांक 24 दिसम्बर 2014 की अनुपालना में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण, दौरे एवं रात्रि विश्राम के मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	पद नाम	दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम	
		मासिक	वार्षिक
1	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव	2 माह में एक बार	6
2	संयुक्त निदेशक	2 माह में एक बार	6
3	उप निदेशक (मुख्यालय)	2 माह में एक बार	6
4	सहायक निदेशक(मुख्यालय)	2 माह में एक बार	6
5	उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (जिला स्तरीय)	1 माह में एक बार	12
6	ज्येष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	1 माह में दो बार	24

उपरोक्त निरीक्षण के अलावा विभागाध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय का वर्ष में 1 बार एवं अन्य कार्यालय अध्यक्ष/अनुभाग अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालयों अथवा अनुभाग का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करेंगे । निरीक्षण संबंधि दिशा निर्देश परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(8)प्र सु/टाइम्स/2013 जयपुर दिनांक 24 दिसम्बर 2014 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

  
(अखिल असेरा)  
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक: 5 (4)/सम/डीईएस/टाइम्स/2015/10608-907 दिनांक: 23/3/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- (2) निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग राजस्थान, जयपुर।
- (3) निजी सचिव, निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान, जयपुर।
- (4) संयुक्त/उप/सहायक निदेशक (मुख्यालय), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (5) उप निदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (समस्त जिले).....
- (6) ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी समस्त।
- (7) ए.सी.पी. मुख्यालय को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- (8) रक्षित पत्रावली।



(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,  
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

(ब) जिला स्तरीय / ब्लाक स्तरीय / सांख्यिकी अधिकारियों के लिए निरीक्षण निर्देश

1. फसल सांख्यिकी सुधार योजना प्रत्येक मौसम (खरीफ, रबी व जायद रबी) में एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के द्वारा एक ग्राम का निरीक्षण करेंगे।
2. फसल कटाई प्रयोग, में एक मौसम में दो (एच.एस.आई.) प्रयोग या प्रयोगों का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, का निरीक्षण करना।
3. जी.सी.ई.एस योजना में फसल कटाई प्रयोग खरीफ एवं रबी मौसम में चिन्हित ग्रामों (राजस्व गण्डल द्वारा सूचित) का निरीक्षण।
4. जीवनांक के तहत वर्ष में जिले की दो नगर पालिकाओं तथा चार पंचायत समितियों का एवं आठ ग्राम पंचायतों का निरीक्षण (एक दिन में नगर पालिका, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों में से 2 इकाईयों का निरीक्षण करना अनिवार्य है) करना।
5. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अन्तर्गत एक उपसत्र में एक क्षेत्र निरीक्षक के एक प्रतिदर्श का निरीक्षण एवं मुख्यालय के शहरी प्रतिदर्श का शत-प्रतिशत निरीक्षण करेंगे।
6. खुदरा/थोक मूल्यों के साप्ताहिक भावों की माह में कम से कम एक बार बाजार में व्यवहृत निरीक्षण कर जांच/समीक्षा करेंगे।
7. आदेशानुसार समय-समय पर अन्य सर्वेक्षणों का निरीक्षण एवं क्षेत्रीय कार्य किए जावें। निरीक्षण व दौरों के समय जिला सांख्यिकी अधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि जब वे दौरे पर जावें तो उस क्षेत्र में चल रहे समस्त कार्यों के साथ ही भागाशाह योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा एवं निरीक्षण करेंगे। एक ही स्थान पर अलग-अलग कार्यों के लिए बार-बार नहीं जायेंगे।
8. कर्मचारियों की उपस्थिति व समय की पाबन्दी का नियमित व आकस्मिक निरीक्षण करना।
9. कार्यालयों में कार्य प्रणाली यथा: आवक-जावक पत्रों का समय पर निस्तारण, जन सामान्य की सेवाओं का संघारण व निस्तारण, कार्मिकों के बैठने की व्यवस्था, भवन की स्थिति एवं सफाई, विद्युत आदि का दुरुपयोग रोकना, स्टोर में रखे सामान का रख-रखाव, अभिलेखों का रख-रखाव एवं अनुपयोगी सामान का निस्तारण, बजट की स्थिति, की समीक्षा एवं निरीक्षण इत्यादि करना।
10. भ्रमण, निरीक्षण व विभाग की जनता से जुड़ी हुई योजना यथा: भागाशाह, जनम-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण एवं सूचना के अधिकार अधिनियम इत्यादि की जन सुनवाई व परिवारों का निस्तारण का नियमित रूप से निरीक्षण करना तथा भ्रमण, निरीक्षण, जन सुनवाई एवं सत्रि विश्राम का समय-समय पर राज सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज करने की समीक्षा करना।
11. जन सामान्य व आवेदकों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का पारदर्शिकरण व प्रक्रिया का सरलीकरण यथा: शपथ पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणिकरण की व्यवस्था करना, कार्यक्रमों व सेवाओं के आनलाईन किए जाने की प्रगति की समीक्षा करना।

